2009 से 2018 के बीच 1,400 नक्सली मारे गए थे। वहीं इस साल पहले पांच महीनों में नक्सली हिंसा की 310 घटनाएं हुईं, जिसमें 88 लोग मारे गए। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई है।

अब मनमोहन सिंह को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- खतरे का आकलन करने के बाद सरकार ने उठाया कदम
- अब मिलेगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों वाली जेड प्लस सुरक्षा

सुरक्षा एजेंसियों की ओर से खतरे का आकलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा हटा ली गई है। एसपीजी की जगह उन्हें अर्द्धसैनिक बल की जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पूर्व प्रधानमंत्री पर खतरे का हर साल आकलन करती हैं और उसी आधार पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। गृह मंत्रालय के अनुसार, मनमोहन सिंह को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर खतरे का तीन महीने तक आकलन किया जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली गई। वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर खतरे के आकलन के बाद ही उन्हें एसपीजी के बजाय जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया गया। एसपीजी देश की सबसे सक्षम सुरक्षा एजेंसी मानी जाती है जो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। गांधी परिवार के सदस्यों को भी यही सुरक्षा हासिल है। मनमोहन की सुरक्षा से एसपीजी को हटाए जाने के बाद अब यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। दरअसल, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था और 1988 में संसद ने इससे संबंधित कानून पर मुहर लगाई थी। उस समय इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को शामिल नहीं किया गया था। 1989 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने और 1991 में उनकी हत्या के बाद एसपीजी कानून में संशोधन कर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को कम से कम 10 साल तक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें फिर से संशोधन कर पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की जरूरत का आकलन 10 साल के बजाय हर साल करने का प्रावधान कर दिया।

इस बीच, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा चुनिंदा तरीके से वापस नहीं ली जानी चाहिए।

एसपीजी के सुरक्षा घेरे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फाइल फोटो। आर्काइव

हुड्डा, वोरा व एजेएल के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत

राजेश मलकानियां, पंचकूला

एजेएल प्लॉट आवंटन प्रकरण में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा एवं एजेएल (एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां विशेष अदालत में अभियोजन की शिकायत दाखिल की है। अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की है। फिलहाल आरोपित पक्ष को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर एसके कांतिवाल अदालत में मौजूद थे। आरोप है कि हुड्डा ने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था।

पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल नेशनल हेरल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। ईडी ने जांच में पाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुनःआवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को वर्ष 1982 में तय की गई दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) से उसमें ब्याज जोड़ते हुए गैरकानूनी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनः आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ। पुनः आवंटन के समय इसका बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे 69.39 लाख रुपये में ही दे दिया गया। सीबीआइ के विशेष जज जगदीप सिंह ही ईडी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

मोतीलाल वोरा

समान नागरिक संहिता पर एक और याचिका दायर

जासं, नई दिल्ली : देश में समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में इसका प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्देश केंद्र सरकार व विधि आयोग को देने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूर्व में दायर याचिका के साथ जोड़कर मंगलवार के लिए सुनवाई तय की है। अधिवक्ता अभिनव बेरी ने अपनी याचिका में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू किए बिना महिलाओं को लिंग समानता, न्याय और सम्मान नहीं मिल सकता। इस अनुच्छेद का मकसद ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करवाना है। इसलिए इस संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्देश विधि आयोग व केंद्र सरकार को दिया जाए।

वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की मूल याचिका के खिलाफ अर्जी दायर कर अपना विरोध जता चुका है।

बोइंग ने वायुसेना को सौंपा 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर विमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने सोमवार को भारतीय वायुसेना को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर-3 परिवहन विमान सौंप दिया। इस विमान के मिलने से वायुसेना की सामरिक क्षमताओं में जबर्दस्त इजाफा होगा।

सी-17 ग्लोबमास्टर-3 प्रीमियर परिवहन विमान है। विशालकाय, मजबूत और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकने वाला यह विमान सभी तरह के मौसम में बड़े युद्धक उपकरण और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। यह विमान वायुसेना की सामरिक और युद्धक क्षमताओं का अहम हिस्सा है। 2013 में वायुसेना की 'स्काई लॉर्ड्स स्क्वाड्रन' में शामिल किए जाने के बाद से सी-17 ने सैन्य अभियानों में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। साथ ही भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति अभियानों में मदद, मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी मददगार साबित हुआ है।

कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, तकनीक, साजो-सामान और विमान को उड़ाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण देने समेत बोइंग भारतीय वायुसेना की सी-17 फ्लीट का रखरखाव कर रहा है। मालूम हो कि बोइंग ने 2016 में सी-17 का सिम्यूलेटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया था जहां भारतीय वायुसेना को प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाती है। यहां अब तक 5,100 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस आपूर्ति के साथ ही दुनियाभर में बोइंग निर्मित 275 सी-17 विमान संचालन में आ गए हैं।

निर्मोही अखाड़े से सवाल, आप रामलला के पक्ष में या विरोध में

अहम मामला ▸ कोर्ट ने मंगलवार को इस पर स्थिति साफ करने को कहा

जब देवता ही नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा, पूजा और प्रबंधन का अधिकार कैसे रहेगा

माला दीक्षित, नई दिल्ली

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में राम जन्मभूमि के एक तिहाई हिस्से के मालिक निर्मोही अखाड़ा ने जब सोमवार को रामलला विराजमान की ओर से दाखिल मुकदमे का विरोध जारी रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा की पैरवी कर रहे वकील सुशील जैन से पूछा कि वह रामलाल के मुकदमे के समर्थन में हैं या विरोध में। दशकों पुराने मामले में 12वें दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बेवजह देवता (रामलला विराजमान) के मुकदमे का विरोध क्यों कर रहे हैं। दोनों पक्ष साथ हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर देवता ही नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा, पूजा और प्रबंधन का अधिकार कैसे रहेगा। वह मस्जिद के तो सेवादार हो नहीं सकते।

हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। सभी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कुल 14 क्रॉस अपीलें दायर की गई हैं जिन पर पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।

निर्मोही अखाड़ा की ओर से कहा गया कि राम जन्मभूमि मंदिर 1850 से भी पहले से है और हिंदू पूजा करते चले आ रहे हैं। हिंदुओं ने कभी यहां अपना अधिकार नहीं छोड़ा। निर्मोही अखाड़ा शुरू से यहां पूजा सेवा और प्रबंधन करता रहा है। निर्मोही अखाड़ा का ही जन्मभूमि मंदिर पर कब्जा था। जैन ने कहा कि कोर्ट उन्हें पूजा सेवा प्रबंधन और कब्जा दिलाए। जब जैन ने रामलला विराजमान की ओर से निकट मित्र बन मुकदमा दाखिल करने वाले देवकी नंदन अग्रवाल पर सवाल उठाया तो कोर्ट ने कहा कि आप देवता के मुकदमे का विरोध कैसे कर सकते हैं। आप रामलला का मुकदमा खारिज करने की मांग कर रहे हैं।

जैन ने कहा कि वह रामलला और जन्मस्थान का विरोध नहीं कर रहे और न ही जमीन पर मालिकाना हक मांग रहे हैं, वह सिर्फ सेवा पूजा का अधिकार और कब्जा मांग रहे हैं। उनका विरोध निकट मित्र देवकी नंदन अग्रवाल को लेकर है। देवकी नंदन अग्रवाल को निकट मित्र की हैसियत से मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। सेवा पूजा करने वाला प्रबंधक भगवान की ओर से मुकदमा कर सकता है और उसके मुकदमे में जरूरी नहीं है कि वह भगवान को भी पक्षकार बनाए।

जैन ने कहा कि अगर निकट मित्र का मुकदमा नहीं रहेगा तो जन्मभूमि पर सारा कब्जा उन्हें ही मिलेगा। इन दलीलों पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मंगलवार को नोट दाखिल कर इस मुद्दे पर बहस करें और स्थिति स्पष्ट करें कि वह रामलला के मुकदमे का समर्थन कर रहे हैं या विरोध। रामलला के मुकदमे के विरोध पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह बेवजह खिलाफत क्यों कर रहे हैं। दोनों एक साथ रह सकते हैं। वह अलग से सेवा और पूजा का अधिकार मांग सकते हैं। उन्हें टकराव में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहेगा। कोर्ट ने कहा कि वह अपने सेवादार होने के साक्ष्य पेश करें। जैन ने कई गवाहों के बयान और दस्तावेज का हवाला दिया। बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफ. एम. कलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनाए गए मध्यस्थता कमेटी के प्रयास के बाद भी इस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छह अगस्त से सुनवाई शुरू की है।

बैंक लोन घोटाले में रतुल पुरी फिर चार दिन की रिमांड पर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में पूछताछ के लिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने फिर से चार दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हवाले कर दिया है। छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने सोमवार को पुरी को अदालत में पेश कर पांच दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी ने अदालत को बताया कि रतुल पुरी सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। किसी सवाल का जवाब मिलता है कि मुझे नहीं पता और किसी का जवाब मिलता है कि याद नहीं है। मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है और इसकी जांच करनी है। एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना भी कराना है। इसलिए रिमांड की जरूरत है। रतुल के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी बेवजह फिर से रिमांड मांग रही है। यह नागरिक की स्वतंत्रता है कि वह सवालों का जवाब दे या ना दे। अदालत ने आदेश दिया था कि पुरी अपने वकील से 15 मिनट के लिए रोजाना अकेले में मिल सकते हैं, लेकिन यह आदेश नहीं माना गया। उन्हें फिर से रिमांड पर भेजने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाइयां पुरी के लिए जरूरी हैं, यदि रिमांड दी जाती है तो ये दवाइयां मुहैया कराई जानी चाहिए। अदालत ने रतुल को चार दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि सीबीआइ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल के खिलाफ 354 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में रतुल के पिता दीपक पुरी, मां नीता सहित कई अन्य भी आरोपित हैं।

चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड की अवधि चार दिन और बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पूछताछ नहीं हुई पूरी इसलिए रिमांड जरूरी
- चिदंबरम के वकील और परिवार के सदस्य प्रतिदिन आधे घंटे मिल सकेंगे

आइएनएक्स मीडिया घोटाले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिर से चार दिन की रिमांड पर सीबीआइ के हवाले कर दिया। अब 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआइ ने 21 अगस्त की देर शाम गिरफ्तार कर अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया था। तब उन्हें 26 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था।

सोमवार को सीबीआइ ने चिदंबरम को अदालत में पेश किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछताछ पूरी न होने का हवाला देते हुए फिर से पांच दिन की रिमांड मांगी। कहा कि चिदंबरम का अन्य आरोपितों से आमना-सामना कराना है। अभी तक एक आरोपित से ही सामना कराया जा सका है। कुछ ई-मेल के बारे में भी पूछताछ जरूरी है। वहीं, चिदंबरम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने कहा कि सीबीआइ के तर्क पर चार दिन की रिमांड मंजूर की जाती है। जांच अधिकारी को कानून के दायरे में रहकर तय समय में जांच पूरी करनी होगी। इस बीच चिदंबरम के वकील और परिवार के सदस्य प्रतिदिन आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकेंगे।

अदालत ने पूछा, चार दिन में क्या किया : अदालत ने सीबीआइ से पूछा कि चार दिन आपने क्या किया? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि जांच से संबंधित कुछ दस्तावेज और साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआइ को दिए हैं। इन साक्ष्यों पर चिदंबरम से पूछताछ बेहद जरूरी है। ईडी ने इस संबंध में एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। पांच देशों को पत्र लिखे गए हैं, जिनमें चिदंबरम के विदेशी बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

सिब्बल ने कहा, एक भी दस्तावेज नहीं आया सामने : सीबीआइ की दलीलों का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि पूरी जांच हवा में है। इतनी लंबी पूछताछ में एक भी दस्तावेज सामने नहीं आया। पहले पांच मिलियन डॉलर राशि की जांच का हवाला देकर रिमांड पर लिया गया था, लेकिन चार दिन तक इस बारे में कोई पूछताछ ही नहीं हुई। आखिर सीबीआइ अदालत को सही जानकारी क्यों नहीं दे रही? कम से कम जांच की प्रक्रिया तो साफ-सुथरी होनी चाहिए। उन्होंने चिदंबरम से दो मिनट बात करने की अनुमति भी मांगी, जो दे दी गई।

सीबीआइ की केस डायरी हो गई खत्म

सीबीआइ की तरफ से पेश केस डायरी सही नहीं थी। जब अदालत ने टोका तो बताया कि चलन वाली केस डायरी खत्म हो गई है, क्योंकि प्रिंटर के साथ कुछ समस्या है। केस डायरी का एक प्रारूप होता है, जबकि सीबीआइ ने सामान्य कागजों पर जानकारी दर्ज कर पेश कर दी थी।

प्रज्ञा का विवादित बयान, कहा-विपक्ष की 'मारक शक्ति' से मारे जा रहे भाजपा नेता

नईदुनिया, भोपाल

- कई भाजपा नेताओं की मौत पर जताई आशंका, कांग्रेस का पलटवार
- भाजपा नेताओं ने साध्वी प्रज्ञा के बयान से किया किनारा

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोकसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष 'मारक शक्ति' का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है, वहीं भाजपा ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह साध्वी की निजी राय है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित शोकसभा में साध्वी ने कहा कि 'एक कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी, उस समय एक महाराज जी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना। साधना का समय बढ़ाते रहना, क्योंकि बहुत बुरा समय है। विपक्ष 'मारक शक्ति' का प्रयोग भाजपा पर कर रहा है। यह निश्चित रूप से भाजपा के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो पार्टी को संभालते हैं, उन पर असर करेगा। उनको हानि पहुंचा सकता है। आप निशाने पर हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराजजी की बात को मैं भूल गई, परंतु आज जब मैं देखती हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा स्वराज जी, बाबूलाल गौर जी, जेटली जी पीड़ा सहते-सहते जाते हैं। मन में एक बार आया, कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है।' शोकसभा के बाद मीडिया की ओर से इस बारे में पूछने पर प्रज्ञा ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जो कह दिया, सो कह दिया।

भार्गव ने जताई असहमति : प्रज्ञा के बयान पर मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि ये उनके ज्ञान की बात है। मारक शक्ति के बारे में वही बता सकती हैं। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं।

संगठन ने साध्वी को किया तलब : साध्वी प्रज्ञा के विवादास्पद बयान पर भाजपा संगठन ने उनको तलब किया है। उन्हें ऐसे बयान न देने की सख्त हिदायत दी गई है। समझाइश के बाद साध्वी ने भी बयान पर चुप्पी साध ली।

प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर मप्र के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा को प्रज्ञा ठाकुर को संसद नहीं, बल्कि किसी बड़े मंदिर का पुजारी बनाना था, जहां वे पूजा-पाठ करतीं। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद की सोच को छोटी और ओछी बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बयान को मूर्खतापूर्ण व आपत्तिजनक बताया।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फाइल फोटो

शाह का मंत्र, फंडिंग रोकने से खत्म होगा नक्सलवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को जीतने के लिए उनकी फंडिंग रोकने को मूलमंत्र बताया। वामपंथी उग्रवाद को लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए उन्होंने इसके लिए केंद्र और राज्यों की साझा लड़ाई की जरूरत बताई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों व केंद्र के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नक्सल इलाकों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के साथ-साथ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की भी समीक्षा की गई।

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाकर स्थिति को काबू करने में सफल रहे शाह नक्सलवाद के खिलाफ भी यही तरीका अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंडिंग पर लगाम के जरिये नक्सलियों के रहने, खाने-पीने, घूमने, हथियारों की खरीद, ट्रेनिंग आदि व्यवस्थाओं को रोका जा सकता है। उनका कहना था कि वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने एवं अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें वामपंथी उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है।

बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे उपायों और जरूरतों के बारे में बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अधिक केंद्रीय सहायता की जरूरत बताई, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने नक्सल इलाकों में विकास गतिविधियों को तेज करने व संचार माध्यम की पहुंच बढ़ाने की जरूरत बताई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे।

शाह ने पिछले एक दशक में नक्सली हमलों में आ रही कमी का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटना नोट की गई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार, राज्य के सुरक्षा बल तथा केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा बताया। उन्होंने आगे भी इस समन्वय को कायम रखने की जरूरत बताई।

नक्सलवाद के खिलाफ 2015 की राष्ट्रीय नीति का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के आधुनिकीकरण और उन्हें बेहतर हथियार व सुविधाएं मुहैया कराने में राज्यों को केंद्र हरसंभव मदद उपलब्ध कराता रहेगा। नक्सलियों के चंगुल में फंसे लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिशों को तेज करने के लिए उन्होंने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों और भविष्य की जरूरत के अनुसार नई योजनाओं को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी, कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद थे।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को नक्सलियों के सफाए के लिए बुलाई गई नक्सल प्रभावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह। साथ में हैं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (दाएं) और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। प्रेट्र

बदली नीति

लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी ने किया साफ कि राजद किसी विशेष जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि यह सबकी है

माय समीकरण से पीछा छुड़ाने की कोशिश में तेजस्वी

अरविंद शर्मा, पटना

- लोकसभा चुनाव में हार के बाद नया फार्मूला अपना रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष
- पदाधिकारियों से किया साफ, पार्टी में पद पाने के लिए अब प्रदर्शन जरूरी होगा

तीन महीने की राजनीतिक शिथिलता के बाद तेजस्वी यादव 'अति सक्रिय' होकर लौटे हैं तो राजद में सबकुछ बदल कर रख देना चाह रहे हैं। जिन कारणों से लोकसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन की हार हुई थी, उससे भी पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मुस्लिम-यादव (माय) के तुष्टीकरण के लिए बदनाम राजद में अबकी सबको लेकर चलने की नसीहत दी जा रही है।

माय समीकरण की खुलेआम वकालत कर करीब डेढ़ दशक तक बिहार की सत्ता में मजबूती से बने रहने वाले लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी ने पहली बार साफ किया है कि राजद किसी विशेष जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि यह सबकी है। राजद के सदस्यता अभियान में तेजस्वी ने पार्टी पदाधिकारियों से सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर नए सदस्यों को जोड़ने की हिदायत दी है। बकौल तेजस्वी, राजद संगठन में सभी समुदायों, वर्गों, जातियों एवं धर्मों के लोगों के चेहरे नजर आने चाहिए।

तेजस्वी के नए फार्मूले को लोकसभा चुनाव में हार से जोड़कर देखा जा रहा है। तब पांच दलों के महागठबंधन में राजद ने सामाजिक समीकरण पर ध्यान नहीं दिया था। अपने हिस्से की 20 सीटों में अधिकतर प्रत्याशी यादव और मुस्लिम समुदाय से ही उतारे थे। टिकट वितरण में ब्राह्मण, भूमिहार एवं कायस्थ जाति की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। गरीब सवर्णों के आरक्षण का विरोध भी अकेले राजद ने ही किया था। इसका नतीजा हुआ कि राजद अपने हिस्से की सारी सीटें हार गया था।

पार्टी पर नियंत्रण की कोशिश : लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजद की किसी बैठक में शिरकत करते हुए तेजस्वी ने परिक्रमा करने में जुटे पदाधिकारियों को साफ कर दिया कि पार्टी में पद पाने के लिए अब प्रदर्शन जरूरी होगा। अभी तक राजद में पद पाने का कोई पैमाना नहीं था। लालू परिवार की सिफारिश पर कोई भी पद प्राप्त कर लेता था। तेजस्वी ने काम को आधार पर बनाकर पार्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण की कोशिश की है। सभी पदाधिकारियों और विधायकों का लक्ष्य तय कर दिया है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को कम से कम 15 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रखंड और पंचायत स्तर के लिए भी मानक तय कर दिया गया है। तेजस्वी राज्य के सभी 72 हजार बूथों पर राजद की मौजूदगी चाहते हैं।

कांग्रेस में उठी राजद से नाता तोड़ने की मांग : कांग्रेस में एक बार फिर राजद से नाता तोड़ने की बात उठने लगी है। सोमवार को पार्टी की सलाहकार समिति की बैठक में कई नेताओं ने सुझाव दिया कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पांच विधानसभा सीटों पर शीघ्र ही होने वाले उपचुनाव से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए।

तेजस्वी यादव फाइल फोटो

आरटीआइ पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सभी राज्य सरकारों को ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्रवासी लीगल सेल' द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किए। एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता जोस अब्राहम ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के वास्तविक उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर सरकारी जानकारियों के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय से जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून के सबसे प्रभावी प्रावधानों में से एक धारा-7(1) है जिसके मुताबिक व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली जानकारी आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी